निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)

E-mail: dirudyanhorti@gmail.com

पत्रांक 179 / दो–14–1 / 2025–26 दिनांकः चौबटियाःअप्रैल,24 / 2025

1– अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मुख्यालय / देहरादून।
2– संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– उप निदेशक, औद्यानिक प्रशिक्षण केन्द्र परीक्षण केन्द्र, श्रीनगर / चौबटिया / काशीपुर।
4– मुख्य उद्यान अधिकारी,
अल्मोड़ा / नैनीताल / पिथौरागढ़ / ऊधमसिहनगर / देहरादून / उत्तरकाशी / चमोली / हरिद्वार।
5– मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट–नैनीताल / देहरादून।
6– वरिष्ठ कीट विद्, राजकीय मौन पालन केन्द्र, ज्योलीकोट–नैनीताल।
7– जिला उद्यान अधिकारी, बागेश्वर / चम्पावत / टिहरी / पौड़ी / रूद्रप्रयाग।
8– आलू एवं शाकभाजी विकास आधिकारी,
मुनस्यारी / ऊधमसिंह नगर / नैनीताल / अल्मोड़ा / उत्तरकाशी / देहरादून / टिहरी / चमोली।
9– उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
10– प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर / कोटद्वार।
11– अधीक्षक, पं0दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय उद्यान चौबटिया।
12– अधीक्षक, राजकीय उद्यान, दूनागिरी / रामगढ़।
13– पौधशाला विकास अधिकारी,
रूद्रपुर / सौनी / ढ़करानी / जरमोला / विषाढ़ / मगरा / कुम्भीचौड़ / परसारी।
14– समस्त अधिकारीगण, निदेशालय,मुख्यालय।

विषयः– **श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण 2025–26 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा शासन के पत्र संख्या 282747 / 2025 दिनांक 17.03.2025 के आलोक में पत्र संख्या–289799 / ई–25478 / XIII–1 / 2025 दिनांक 15.04.2018 के माध्यम से स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के आलोक में पात्र अधिकारियों का चिन्हीकरण करने के उपरान्त सम्बन्धितों से तीन स्थानों के विकल्प प्राप्त कर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के अधिकारियों का चिन्हीकरण शासन के पत्र संख्या–693 / दिनांक 13.04.2018 के माध्यम से किया गया है, जिसमें कोई परिवर्तन न होने के कारण वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु भी प्रभावी है। उक्त के आलोक में उक्त चिन्हीकरण विभागीय वैबसाईट **shm.uk.gov.in** पर प्रदर्शित की जा चुकी है तथा इसकी सूचना से आपको निदेशालय के पत्र संख्या–ई–162994 / 3846, दिनांक 31.03.2025 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 में कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में **सुगम से दुर्गम तथा दुगर्म से सुगम क्षेत्र** में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विभिन्न सम्वर्गों के पात्र कार्मिकों का विवरण, रिक्त पदों की सूची विभागीय बेवसाईट **shm.uk.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि विभागीय वैबसाईट **shm.uk.gov.in** में प्रदर्शित की जाने वाली उक्त सूचना / विवरण का अवलोकन करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्रता की स्थिति पात्र अधिकारी तीन इच्छित स्थानों का विकल्प दिनांक 15.05.2025 से पूर्व निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प / आवेदन प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15.05.2025 नियत है। इसके उपरान्त अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए प्राप्त होने वाले विकल्प / आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जायेगा एवं प्राविधानानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।

2– इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 30.04.2025 अधिनियम के प्राविधानानुसार नियत है। अतएव यदि किसी अधिकारी को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प / आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लेखित रिक्त / सम्भावित रिक्ति का अवलोकन करते हुए तीन स्थानों का अनुरोध विकल्प / प्रत्यावेदन दिनांक 30.04.2025 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले विकल्प / आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जायेगा ।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 179 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के पत्र संख्या–289799/ई–25478/XIII–1/2025 दिनांक 15.04.2018 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।